THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (c). Government have no such proposal.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति

5009. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित 95 प्रतिशत रिक्त स्थानों को नहीं भरा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार इन रिक्त स्थानों को भरने के बारे में कोई शीघ्र घोषणा करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख) । अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित जो रिक्तियां किसी वर्ष उन जातियों के अपने अपने उम्मीदवारों से नहीं भरी जा सकी थीं, उन्हें आगे ले जाना पड़ता है तथा रिक्तियों को आगे ले जाने की अवधि हाल ही में दो परवर्ती भर्ती वर्षों से बढ़ा कर तीन परवर्ती भर्ती वर्ष कर दी गई है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट घोषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन सरकारी कर्मचारियों को वरीयता जिन्होंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया हुआ

5010. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता तथा धर्म-निरपेक्षता को देखते हुए सरकार का विचार संगत विधियों में संशोधन करके उन नवयुवकों को जो अपनी जाति तथा धर्म से बाहर विवाह करते हैं, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के मामलों में वरीयता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा संशोधन कब तक किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संविधान का अनुच्छेद 16(1) "राज्य के अधीन किसी पद पर नौकरी अथवा नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की" गारंटी देता है । अनुच्छेद 16(2) के अनुसार "कोई भी नागरिक राज्य के अधीन किसी नोकरी अथवा पद के लिए केवल धर्म, वंश, जाति' लिंग पीढ़ी, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर" अपात्र नहीं होगा अथवा उसके विरुद्ध भेदभाव नही वरता जायेगा । संविधान के इन उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के मामले में कोई वरीयता नहीं दी जा सकती है जो अपनी जाति तथा धर्म से बाहर विवाह करते हैं ।

Misuse of Diplomatic Bag

5011. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mr. Iqbal, an accused in the Chandigarh Spy Ring case, has stated in his statement that he used to get his letters from Pakistan *via* Pakistan Embassy ;